

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ2(783)/डीओआईटीएण्डसी/2025

जयपुर, दिनांक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क्र. स.	मेरिट न. /रोल न.	नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम एवं सत्र	विश्वविद्यालय का नाम
1	172673	गिरधारी लाल चौबदार, सूचना सहायक	लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जयपुर	MCA (2026-2028)	CODE VGU, JAIPUR
2	219050	गोविन्द आर्य, सूचना सहायक	राजस्व तहसील, पचपहाड़, झालावाड	BCA (2025-2028)	IGNOU
3	221797	गोविन्द राम जाट, सूचना सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेंगू, चित्तौडगढ़	BLIS (2026-2027)	VMOU KOTA

उक्त पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(अखिलेश मित्तल)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. सम्बन्धित कार्मिक.....।
4. संबंधित निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

अति. प्रशासनिक अधिकारी

Digitally signed by Akhlesh Mittal
Designation: Head of Office

Date: 2025.03.10 17:20:29 IST

Reason: Approved

